


न्यायालय उप जिला कलेक्टर

दिनांक

फर्द अहकाम

31 $\frac{03}{21}$

पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज के उपरान्त भी वादी अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। वादी पक्ष द्वारा बावजूद निर्देश प्रतिवादीगण की तामील हेतु तलका भी पेश नहीं किया है। इसकारण पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम है।


31-03-2024

(सुरेश कुमार यादव)
उपरखण्ड अधिकारी
हिडौन (करोली)

